



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ



दीपावली पर्व पर जनसामान्य से अपील

1 अत्यधिक शोर के पटाखों का प्रयोग न करें

प्रस्फोटन के बिंदु से 4 मीटर की दूरी पर 125 डीबी(एआई) या 145 डीबी (सी)पी.के. से अधिक शोर स्तर जनक पटाखों का विनिर्माण विक्रय या उपयोग प्रतिषिद्ध है।

2 शांत क्षेत्रों में पटाखों का प्रस्फोटन न करें

शांत क्षेत्रों में किसी भी समय पटाखों का प्रस्फोटन न करें। शांत क्षेत्र का आशय है:- अस्पताल, शिक्षण संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित क्षेत्र के कम से कम 100 मी0 त्रिज्यात्मक क्षेत्र।

3 बच्चों को प्रदूषण रहित दीपावली के लिए प्रेरित करें

प्रदेश के स्कूलों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, विद्यार्थियों को वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के कुप्रभावों के संबंध में शिक्षित करें।

4 मात्र हरित पटाखों (बेरियम साल्ट रहित) का निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत प्रयोग ही अनुमन्य है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी

Signature
20/10/2023
S.A.

Signature
20/10/23
K.D.

Signature
20/10/23
K.D.